



युवा लड़कियों के अधिकार

एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विभूति पटेल

युवा अधिकार- युवा लड़कियों और लड़कों के अधिकार होते हैं। ये अधिकार युवाओं के शोषण को सम्बोधित करने वाले आन्दोलनों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो वयस्कता को युवाओं की भागीदारी से चुनौती देते हुए, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संदर्भों में विभिन्न पीढ़ियों के बीच समानता को प्रोत्साहित करते हैं। ये अधिकार बच्चों, युवाओं, व्यस्कों व बुजुर्गों के बीच संबंधों और व्यवहार में न्याय और ईमानदारी बढ़ाने में भी सहायक होते हैं।

हर इंसान के पास कुछ बुनियादी मानव अधिकार होते हैं, जो उनकी सुरक्षा और दूसरों के साथ सामंजस्य बनाने में मदद करते हैं। अधिकतर लोगों को अपने कुछ अधिकारों जैसे भोजन, आवास, वेतनयुक्त काम आदि की जानकारी भी होती है। पर कुछ अधिकारों के बारे में जानकारी न होने के कारण वे शोषण, हिंसा और भेदभाव का शिकार होते हैं।

हमारे देश की राष्ट्रीय युवा नीति 2003 भारत के युवा लड़कों व लड़कियों के सम्पूर्ण विकास के प्रति वचनबद्धता दोहराती है। यह नीति उनकी वैध आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय नज़रिया विकसित करने के लिए प्रयासरत है जिससे युवा वर्ग राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व सामाजिक बदलावों में अपना योगदान कर सकें। इन नीति का प्रारूप वैश्विक हितों से उभरने वाली चुनौतियों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास में युवा सक्रियता को महत्व देते हुए 'युवा सशक्तिकरण' पर बल देता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14/15 में समानता के अधिकार की बात की गई है। पर समाज में व्याप्त असमानता को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 15 (3) में दर्ज

किया गया है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान पारित कर सकता है।

युवाओं के पास बचपन को पूरी तरह जीने का स्वायत्त अधिकार होता है। वे सुरक्षा, देखभाल, प्यार, सम्मान के भी हकदार होते हैं। युवाओं के बेहतर विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल व सहायक माहौल मुहैया कराना माता-पिता, परिवार, समाज, शिक्षकों व राज्य का दायित्व होता है। लड़के व लड़कियों को समान मौके व अधिकार प्रदान करना युवाओं के विकास के लिए बुनियादी ज़रूरत है।

बुनियादी शिक्षा: युवा लड़कियों की सशक्तता के लिए शिक्षा मुख्य ज़रूरत है जो आमदनी, स्वास्थ्य और गुणवत्ता बढ़ाने में मददगार रहती है। शिक्षा लड़कियों की समाज में बतौर नागरिक भागीदारी के लिए भी अहम है। परन्तु ज़्यादातर देशों में युवाओं को औपचारिक स्कूली शिक्षा मुहैया नहीं होती और वे अनौपचारिक काम करने के लिए मजबूर होते हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं: अधिकांश देशों में स्वास्थ्य सेवाएं युवाओं की ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखतीं। लड़कियों को यौनिकता, माहवारी और प्रजनन की कोई जानकारी नहीं होती। जीवन की शुरूआत से ही वे पुरुष दमन स्वीकारने और अपनी ज़रूरतों को नकारने की आदी हो जाती हैं। जीवन व आजीविका कौशल युवाओं को ज्ञान, व्यावहारिकता और आत्मविश्वास से जीवन जीने में सक्षम बनाता है। आजीविका और रोज़गार के मौके उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ जानकारी युक्त चुनाव करने में भी मदद करते हैं।

सहायक पर्यावरण: हिंसा, दमन, शोषण और भेदभाव से मुक्त माहौल जिसमें समुदाय, समाज, परिवार युवाओं की ज़रूरतों को समझें और उन्हें आगे बढ़ने में सहायक बनें।

भागीदारी: समाज को रूढ़िवादी सोच को बदलने और युवाओं की भागीदारी व बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रमुख अधिकार स्थापित किए गए हैं।

- ◆ संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली 1989 पारित बाल अधिकार समझौता।
- ◆ संयुक्त राष्ट्र महासभा पारित (1979) सीडों समझौता
- ◆ जनसंख्या व विकास अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1994 पारित प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन तथा पांच वर्ष बाद 1999 में पारित प्रमुख निष्कर्ष दस्तावेज़ (आईसीपीडी + 5)
- ◆ चौथे बीजिंग सम्मेलन (1995) में पारित घोषणापत्र व प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन तथा पांच वर्ष पश्चात 2000 का राजनैतिक घोषणापत्र व प्रमुख निष्कर्ष दस्तावेज़ (बीजिंग + 5)

इन विज्ञप्तियों, घोषणापत्रों व समझौतों में युवा अधिकारों की परिभाषा निम्न है —

- ◆ उत्तरजीविता व व्यक्तिगत विकास जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन व आजीविका कौशल तथा रोज़गार प्रशिक्षण शामिल है।
- ◆ सर्वोच्च स्तरीय शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का विकास।
- ◆ हिंसा, शोषण व भेदभाव से सुरक्षा।
- ◆ जीवन को प्रभावित करने वाले मसलों पर स्वायत्तता भागीदारी व अभिव्यक्ति।

सक्रिय कार्यवाहिक ढांचा

इनके अतिरिक्त युवाओं के विकास के लिए गरीबी, असमानता और लैंगिक भेदभाव से परिपूर्ण सामाजिक ढांचों को भी बदलना होगा। इसके लिए सन् 2000 में सहस्राब्धि के विकास लक्ष्यों में कुछ प्रमुख मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक व माध्यात्मिक शिक्षा में लैंगिक असमानता को खत्म करना, मातृ मृत्युदर

में कमी, युवाओं के लिए योग्य और उत्पादक काम तथा एचआईवी/एड्स संक्रमण की रोकथाम मुख्य हैं।

संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन द्वारा अनुदान प्राप्त कार्यक्रम “लड़कियों के विकास व भागीदारी अधिकारों का सम्मिलन” में केन्द्रीय मुद्दा यूनिसेफ है किशोरियों का विकास। इस कार्यक्रम के तहत युनिसेफ, डब्ल्यूएचओ व यूएनएफपीए ने साथ मिलकर युवा लड़के व लड़कियों के अधिकारों पर सक्रिय काम किया गया है। बारह देशों में शुरू किए गए इस कार्यक्रम में पाप्युलेशन काउंसिल, कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम, आई.सी.आर.डब्ल्यू तथा फेमिली केयर इंटरनेशनल भी सहायता कर रहे हैं।

गैर सरकारी संगठन हस्तक्षेप

जागोरी (दिल्ली), वाचा (मुंबई), मासूम (पुणे) व सहियर (वडोडरा) जैसे गैर सरकारी संगठन किशोरियों की सशक्तता के लिए जीवन कौशल, शिक्षा व रोज़गार प्रशिक्षण व नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। ये परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की युवतियों के साथ एक व्यापक शिक्षा व स्वास्थ्यवर्द्धक कार्यक्रम चलाकर उन्हें सशक्त बनाने में प्रयासरत हैं।

विवाह की उम्र

मातृ स्वास्थ्य बेहतर बनाने और परिवारों को छोटा रखने में विवाह की उम्र का विशेष महत्व होता है। गैर सरकारी संगठनों ने अप्रशिक्षित किशोरियों तथा बेहतर जीवन विकल्प कार्यक्रम से जुड़ी किशोरियों पर अध्ययन में पाया कि प्रशिक्षण पाने के बाद लड़कियां 18 वर्ष की कानूनी उम्र सीमा पार करने के बाद ही विवाह करती हैं। यह भी पाया गया कि जीवन साथी के चयन में उनकी रज़ामंदी अधिक नज़र आती है।

शैक्षिक स्तर

बेहतर जीवन विकल्प कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किशोरियां अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करती हैं। इनमें स्कूल छोड़ने के मामले भी कम दिखाई पड़ते हैं।

आर्थिक सशक्तता और रोज़गार कौशल

अध्ययन में पाया गया कि बेहतर जीवन विकल्प कार्यक्रम

से जुड़ी 99% किशोरियों ने कोई न कोई रोज़गार कौशल अर्जित किया था। उनके पास अपना बैंक खाता तथा अपनी कमाई को अपनी मर्ज़ी से खर्च करने की आज़ादी भी अधिक थी।

सशक्तता: स्वाभिमान, निर्णय क्षमता व आवाजाही

अध्ययन से सामने आया कि प्रशिक्षित किशोरियों में अधिक आत्म विश्वास था। वे अपने विचार व्यक्त करने या बुजुर्गों व समूह के सामने खुलकर बोलने में हिचकिचाती नहीं हैं। वे अपनी शिक्षा, विवाह, रोज़गार, स्वास्थ्य और रोज़मर्रा से जुड़ी बातों पर निर्णय लेने की क्षमता भी रखती हैं। वे सार्वजनिक यातायात का उपयोग करने, अकेले आने-जाने या दोस्तों-सहेलियों के साथ घूमने-फिरने में भी कतराती नहीं हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पहल व अगुवाई

राष्ट्रीय इकाइयों के साथ-साथ लैंगिक समता के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। वे निगरानी की भूमिका अदा करते हुए राष्ट्रीय सरकारों पर लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्धि सम्मेलन 2000 में 189 देशों ने सहस्राब्धि घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए।

भारत ने भी इस पर रज़ामंदी देते हुए हस्ताक्षर किए थे। समूह ने आठ प्रमुख लक्ष्यों को सहस्राब्धि के विकास लक्ष्य चुना और 2015 तक इन्हें पूरा करने का संकल्प लिया। इन

आठ लक्ष्यों में से दो लक्ष्य लड़कियों व महिलाओं के लिए लैंगिक समानता व शिक्षा तक पहुंच से सीधे संबंध रखते हैं। अगर इनमें कुछ प्रतिशत लक्ष्यों को भी भारत पूरा कर सके तो यह लड़कियों व औरतों की सशक्तता बढ़ाने में कारगर साबित होगा।

इसी तरह संयुक्त राष्ट्र सक्रिय कार्यवाही योजना बीजिंग 1995 के ज़रिये लड़कियों की सशक्तता हेतु निम्न प्रस्ताव दिए गए थे —

- ◆ नकारात्मक सांस्कृतिक रवैयों का उन्मूलन।
- ◆ शिक्षा, कौशल विकास व प्रशिक्षण में भेदभाव का उन्मूलन।
- ◆ स्वास्थ्यकर व पौष्टिक भोजन में भेदभाव का उन्मूलन।
- ◆ बाल मज़दूरी का उन्मूलन व स्त्री बाल श्रमिकों की सुरक्षा।
- ◆ बालिका शिशु के दर्जे को बेहतर बनाने में परिवार की भूमिका को मज़बूती प्रदान करना।

सारांश में यही कहा जा सकता है कि युवा किशोरियों के सम्मानयुक्त और शान्तिप्रिय जीवन, जो उन्हें शिक्षा, खान-पान, कौशल विकास के ज़रिए आज़ादी और सशक्तता की ओर अग्रसर करे, के लिए आत्म-संगठन सबसे बेहतर उपाय है। फिर वह दिन दूर नहीं रहेगा जब आंखों में सपने और होठों पर गीत लेकर हर घर में बेटियों का स्वागत होगा।

डॉ. विभूति पटेल, एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय, मुंबई में प्रोफेसर हैं।